



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092025-266134
CG-DL-E-13092025-266134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4013]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2025/भाद्र 20, 1947

No. 4013]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2025/BHADRA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2025

का.आ. 4128(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH-166 के कि.मी. 67.140 से कि.मी.145.300 (रत्नागिरी-कोल्हापूर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी पन्हाळा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापूर जिले में NH166 के कि.मी. 67.140 से कि.मी.145.300 (रत्नागिरी-कोल्हापुर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: कोल्हापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शाहुवाडी					
गांव का नाम: चांदोली					
1	117 part	निजी	कृषिक	0.0117 (हेक्टेयर)	0.0117
2	151 part	निजी	कृषिक	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
3	74 part	निजी	कृषिक	0.2016 (हेक्टेयर)	0.2016
गांव का नाम: केल्ले (शाहुवाडी)					
4	152/B part	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
गांव का नाम: तलवडे					
5	60/A, 60/B, 62, 63, 66, 71-Plot no. 61	निजी	अकृषिक	0.0524 (हेक्टेयर)	0.0524
6	60/A, 60/B, 62, 63, 66, 71-Plot no. 62 Part	निजी	अकृषिक	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
गांव का नाम: निळे					
7	135 part	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
8	385 part	निजी	कृषिक	0.0997 (हेक्टेयर)	0.0997
गांव का नाम: वालूर					
9	109 part	निजी	कृषिक	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
10	88/A part	निजी	कृषिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: जाधववाडी					
11	212 part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
12	239 part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
गांव का नाम: चनवाड					
13	44 part	निजी	कृषिक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
गांव का नाम: ससेगाव					
14	105 part	निजी	कृषिक	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
15	50 part	निजी	कृषिक	0.0102 (हेक्टेयर)	0.0102
गांव का नाम: भैरेवाडी					
16	167 part	निजी	कृषिक	0.1546 (हेक्टेयर)	0.1546
17	168 part	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: गोगवे					
18	1051 part	निजी	कृषिक	0.106 (हेक्टेयर)	0.106

19	262 part	निजी	कृषिक	0.0057 (हेक्टेयर)	0.0057
20	263 part	निजी	कृषिक	0.0043 (हेक्टेयर)	0.0043
21	265 part	निजी	कृषिक	0.2653 (हेक्टेयर)	0.2653
22	638 part	निजी	कृषिक	0.0571 (हेक्टेयर)	0.0571
गांव का नाम: वाडीचरण					
23	180 Part	निजी	कृषिक	0.0137 (हेक्टेयर)	0.0137
गांव का नाम: चरण					
24	434 Part	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: डोणोली					
25	151 part	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
26	414 Part	निजी	कृषिक	0.0799 (हेक्टेयर)	0.0799
27	506 part	निजी	कृषिक	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
28	659 Part	निजी	कृषिक	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
29	670 part	निजी	कृषिक	0.0728 (हेक्टेयर)	0.0728
30	703 Part	निजी	कृषिक	0.101 (हेक्टेयर)	0.101
गांव का नाम: खुटाळवाडी					
31	115 part	निजी	कृषिक	0.0038 (हेक्टेयर)	0.0038
तालुक का नाम: पन्हाला					
गांव का नाम: अवली					
32	773 Part	निजी	कृषिक	0.0404 (हेक्टेयर)	0.0404
33	794 Part	निजी	कृषिक	0.0696 (हेक्टेयर)	0.0696
34	795 Part	निजी	कृषिक	0.0897 (हेक्टेयर)	0.0897
35	796 Part	निजी	कृषिक	0.1556 (हेक्टेयर)	0.1556
36	797 Part	निजी	कृषिक	0.0819 (हेक्टेयर)	0.0819
गांव का नाम: देवाले					
37	710 (738) part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
38	714 (742)	निजी	कृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
गांव का नाम: बोरपाडले					
39	436 Part	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
40	437 Part	निजी	कृषिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
41	439 Part	निजी	कृषिक	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
42	441 Part	निजी	कृषिक	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
43	450 Part	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
गांव का नाम: नवली					
44	35 Part	निजी	कृषिक	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
45	47 Part	निजी	कृषिक	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
46	48 Part	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
47	50 Part	निजी	कृषिक	0.125 (हेक्टेयर)	0.125
गांव का नाम: अंबावडे					
48	217 part	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
49	246 Part	निजी	कृषिक	0.0044 (हेक्टेयर)	0.0044
50	247 Part	निजी	कृषिक	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169
51	248 part	निजी	कृषिक	0.0079 (हेक्टेयर)	0.0079

52	5 part	निजी	कृषिक	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
गांव का नाम: पिम्पले-सातवे					
53	23 Part	निजी	कृषिक	0.0183 (हेक्टेयर)	0.0183
54	26 Part	निजी	कृषिक	0.0367 (हेक्टेयर)	0.0367
55	28 Part	निजी	कृषिक	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
56	391 Part	निजी	कृषिक	0.0938 (हेक्टेयर)	0.0938
57	397/C Part	निजी	कृषिक	0.0432 (हेक्टेयर)	0.0432
58	7 Part	निजी	कृषिक	0.2023 (हेक्टेयर)	0.2023
गांव का नाम: देनेवादी					
59	197 Part	निजी	कृषिक	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
60	198 Part	निजी	कृषिक	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
61	199 Part	निजी	कृषिक	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
62	207 Part	निजी	कृषिक	0.16 (हेक्टेयर)	0.16
63	97A Part	निजी	कृषिक	0.062 (हेक्टेयर)	0.062
Total					3.3942

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2025

S.O. 4128(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-166 in the stretch of land from Km. 67.140 to Km. 145.300 (Ratnagiri-Kolhapur Section) in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Panhala in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-166 in the stretch of land from Km. 67.140 to Km. 145.300 (Ratnagiri-Kolhapur Section) in the district of KOLHAPUR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: KOLHAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shahuwadi					
Village: Chandoli					
1	117 part	Private	agriculture	0.0117 (Hectare)	0.0117
2	151 part	Private	agriculture	0.0059 (Hectare)	0.0059
3	74 part	Private	agriculture	0.2016 (Hectare)	0.2016
Village: Kerle (Shahuwadi)					
4	152/B part	Private	agruculture	0.005 (Hectare)	0.005
Village: Talvade					
5	60/A, 60/B,62,63,66,71-Plot no. 61	Private	Non-Agriculture	0.0524 (Hectare)	0.0524
6	60/A, 60/B,62,63,66,71-Plot no. 62 Part	Private	Non-Agriculture	0.0015 (Hectare)	0.0015
Village: Nile					
7	135 part	Private	agiculture	0.01 (Hectare)	0.01
8	385 part	Private	agriculture	0.0997 (Hectare)	0.0997
Village: Walur					
9	109 part	Private	agriculture	0.025 (Hectare)	0.025
10	88/A part	Private	agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Jadhav Wadi					
11	212 part	Private	agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
12	239 part	Private	agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
Village: Chanwad					
13	44 part	Private	agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
Village: Sasegaon					
14	105 part	Private	agriculture	0.065 (Hectare)	0.065
15	50 part	Private	agriculture	0.0102 (Hectare)	0.0102
Village: Bhairewadi					
16	167 part	Private	agriculture	0.1546 (Hectare)	0.1546
17	168 part	Private	agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Village: Gogave					
18	1051 part	Private	agriculture	0.106 (Hectare)	0.106
19	262 part	Private	agriculture	0.0057 (Hectare)	0.0057
20	263 part	Private	agriculture	0.0043 (Hectare)	0.0043
21	265 part	Private	agriculture	0.2653 (Hectare)	0.2653
22	638 part	Private	agriculture	0.0571 (Hectare)	0.0571
Village: Wadicharan					

23	180 Part	Private	Agriculture	0.0137 (Hectare)	0.0137
Village: Charan					
24	434 Part	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Village: Donoli					
25	151 part	Private	agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
26	414 Part	Private	Agriculture	0.0799 (Hectare)	0.0799
27	506 part	Private	agriculture	0.0023 (Hectare)	0.0023
28	659 Part	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
29	670 part	Private	Agriculture	0.0728 (Hectare)	0.0728
30	703 Part	Private	Agriculture	0.101 (Hectare)	0.101
Village: Khatalwadi					
31	115 part	Private	agriculture	0.0038 (Hectare)	0.0038
Taluk: Panhala					
Village: Awali					
32	773 Part	Private	Agriculture	0.0404 (Hectare)	0.0404
33	794 Part	Private	Agriculture	0.0696 (Hectare)	0.0696
34	795 Part	Private	Agriculture	0.0897 (Hectare)	0.0897
35	796 Part	Private	Agriculture	0.1556 (Hectare)	0.1556
36	797 Part	Private	Agriculture	0.0819 (Hectare)	0.0819
Village: Dewale					
37	710 (738) part	Private	agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
38	714 (742)	Private	agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
Village: Borpadale					
39	436 Part	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
40	437 Part	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
41	439 Part	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
42	441 Part	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
43	450 Part	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
Village: Navali					
44	35 Part	Private	Agriculture	0.015 (Hectare)	0.015
45	47 Part	Private	Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
46	48 Part	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
47	50 Part	Private	Agriculture	0.125 (Hectare)	0.125
Village: Ambawade					
48	217 part	Private	agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
49	246 Part	Private	Agriculture	0.0044 (Hectare)	0.0044
50	247 Part	Private	Agriculture	0.0169 (Hectare)	0.0169
51	248 part	Private	agriculture	0.0079 (Hectare)	0.0079
52	5 part	Private	agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
Village: Pimpale-Satave					
53	23 Part	Private	Agriculture	0.0183 (Hectare)	0.0183
54	26 Part	Private	Agriculture	0.0367 (Hectare)	0.0367
55	28 Part	Private	Agriculture	0.035 (Hectare)	0.035
56	391 Part	Private	Agriculture	0.0938 (Hectare)	0.0938
57	397/C Part	Private	Agriculture	0.0432 (Hectare)	0.0432

58	7 Part	Private	Agriculture	0.2023 (Hectare)	0.2023
Village: Denewadi					
59	197 Part	Private	Agriculture	0.08 (Hectare)	0.08
60	198 Part	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
61	199 Part	Private	Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
62	207 Part	Private	Agriculture	0.16 (Hectare)	0.16
63	97A Part	Private	Agriculture	0.062 (Hectare)	0.062
Total					3.3942

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director